an>

Title: Need to make law for care of pregnant women and infant.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के माध्यम से जहां बालिकाओं को शिक्षित व समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं भ्रूण हत्या के कारण बालक व बालिकाओं के लिंगानुपात में बढ़ता हुआ अंतर समाज के परंपरागत ढांचे को बिगाड़ रहा है। इसके कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। महिला का गर्भवती होना आदर्श माना जाता है। तमाम अभियानों व समाज में बढ़ रही जागरुकता के बावजूद ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिनमें महिलाओं का जबरन गर्भपात कराना, धमकाना, डराना, गर्भवती महिलाओं के साथ हिंसा शामिल हैं। ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर और गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को जन्म देने वाली महिला के साथ हिंसक व्यवहार सभ्य समाज में अक्षम्य अपराध है। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाएं बहुत जोखिम उठाती हैं अतः इन्हें अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के साथ कानूनी संरक्षण देने की आवश्यकता भी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गर्भवती महिलाओं को आदर्श वातावरण उपलब्ध कराने के साथ गर्भस्थ शिशु के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए, जिसमें ऐसी अवस्था में किसी भी दुष्कृत्य को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर अभियोजन तथा सज़ा का प्रावधान किया जाए।